छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//आदेश//

- 2 SEP 2015

नया रायपुर, दिनांक /09/2015

क्रमांक/एफ–15–6/2006/25/2: राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग में संचालित युवा कैरियर निर्माण योजना वर्ष 2006 यथा संशोधित 2011 को निरस्त/अधिक्रमित करते हुए उसके स्थान पर "युवा कैरियर निर्माण योजना वर्ष 2015" की स्वीकृति प्रदान करता है। स्वीकृत योजना की प्रति संलग्न है।

2– उक्त योजना पर होने वाला व्यय मांग संख्या 41 मुख्यशीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा–02 माध्यमिक शिक्षा–109–सरकारी माध्यमिक विद्यालय–0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना–7363 युवा कैरियर निर्माण योजना, मांग संख्या 64 मुख्यशीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा–02 माध्यमिक शिक्षा–109–सरकारी माध्यमिक विद्यालय–0103 अनुसूचित जाति उपयोजना–7363 युवा कैरियर निर्माण योजना एवं मांग संख्या 66 मुख्यशीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा–02 माध्यमिक शिक्षा–109–सरकारी माध्यमिक विद्यालय–0101 राज्य आयोजना(सामान्य)–7363 युवा कैरियर निर्माण योजना मद अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3– इस स्वीकृति पर छ.ग. शासन, वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनरेट क्रमांक/एफ–2013–25–00085/बी–3/चार, दिनांक 25.8.2015 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी. कुंजाम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.

कार्यालय ... आ.जा. तथा अन्य ... रायपुर
क्रमांक 1723
दिनांक 2/9/15

पृ.क्रमांक /एफ–15–6/2006/25/2

नया रायपुर, दिनांक /09/2015
- 2 SEP 2015

प्रतिलिपिः–

1– विशेष सहायक, मान. मंत्री, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग, छ.ग.शासन, मंत्रालय नया रायपुर।
2– महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
3– अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
4– आयुक्त, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक/यू.हा./112/2014–15/17729 दिनांक 31.3.2015 के तारतम्य में।
5– आयुक्त, ———— संभाग, ———— छ.ग.।
6– कलेक्टर, जिला ———————— छ.ग.।
7– सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, ———— छ.ग.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8– आर्डर बुक।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

युवा कैरियर निर्माण योजना वर्ष 2015

(1) योजना का नाम

इस योजना को युवा कैरियर निर्माण योजना वर्ष 2015 के नाम से संबोधित किया जाएगा। इस योजना के लागू होने के पश्चात पूर्व में जारी युवा कैरियर निर्माण योजना 2006 यथा संशोधित 2011 एवं आदेश क्र/एफ–16–43/2011/25/2, दिनांक 31/05/2011 निरस्त/अधिक्रमित मान्य किए जाएँगें।

(2) उद्देश्य

निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, बैंकिग परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग, रेल्वे भर्ती बोर्ड, छ.ग. व्यापम तथा अन्य संस्थानों द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पात्रता रखने वाले प्रतिभावान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बनाना।

(3) विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रशिक्षण का निर्धारण

3.1 संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा हेतु 50 चयनित अभ्यर्थियों को नई दिल्ली में स्थित निजी कोंचिग संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

3.2 राज्य स्तर पर 50 चयनित अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु निजी कोंचिग संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

3.3 अन्य परीक्षाओं यथा बैकिंग, कर्मचारी चयन आयोग, रेल्वे, व्यापम इत्यादि द्वारा ली जाने वाली परीक्षा हेतु रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर जिला मुख्यालय में विभाग द्वारा स्थापित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में प्रति केन्द्र 100 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर अन्य जिलों में भी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जा सकेंगे। प्रशिक्षण निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से दिलाया जायेगा ।

(4) कार्यक्षेत्र

- इस योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य होगा।
- योजना से संबंधित जानकारी के लिए जिला स्तर पर सहायक आयुक्तों से सम्पर्क किया जा सकेगा। जिला स्तर पर सहायक आयुक्त नोडल अधिकारी होंगे। योजना के प्रचार–प्रसार हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में यथासमय प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

(5) योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अभ्यार्थियों के चयन संबंधी मापदण्ड

(5.1) निवास तथा जाति संबंधी पात्रता

I. आवेदक को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

II. आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो।

III. आवेदक भारत सरकार द्वारा छ.ग. राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित हैं अथवा नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा एवं यदि इस संबंध में आवेदक द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे इस योजना के लाभ से सदैव के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

(5.2) आयु संबंधी पात्रता

I. सामान्यतः कोचिंग हेतु न्यूनतम आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन वर्ष में 01 जनवरी की स्थिति के आधार पर की जा सकेगी। 01 जनवरी की स्थिति में आवेदक की आयु न्यूनतम 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। तथापि संघ लोक सेवा एवं राज्य लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निर्धारित आयु सीमा की गणना हेतु तिथि निर्धारण का अधिकार आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को होगा। आयुक्त को आवश्यकतानुसार आयु सीमा में परिवर्तन/शिथिलीकरण का अधिकार होगा।

(5.3) शैक्षणिक योग्यता संबंधी पात्रता

I. आवेदन दिनांक को अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि (डिग्री) होनी चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

II. आवेदक ने स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो या समतुल्य ग्रेड प्राप्त किया हो, जिसे निर्धारित आरक्षित सीट अनुसार किसी वर्ग में पात्र अभ्यर्थी प्राप्त न होने की दशा में अधिकतम 05 प्रतिशत तक शिथिल किया जा सकेगा।

III. ऐसे आवेदक जो स्नातक अन्तिम वर्ष की किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों तथा परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, वे भी आवदेन कर सकते हैं, किन्तु काउंसिलिंग दिनांक को उन्हें संबंधित परीक्षा न्यूनतम निर्धारित अर्हता के साथ उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

//3//

(5.4) सीटों का निर्धारण

- कंडिका 3(1) अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग दिल्ली स्थित निजी संस्थाओं के माध्यम से करने हेतु स्वीकृत 50 सीट्स में से 25 सीट अनुसूचित जनजाति, 15 सीट अनुसूचित जाति एवं 10 सीट अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित होंगी। किसी वर्ग में अभ्यर्थी कम होने/सीट रिक्त होने पर उसकी पूर्ति क्रमशः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों से की जा सकेगी।

- कंडिका 3(2) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु निर्धारित 50 सीटों में से 25 सीट अनुसूचित जनजाति, 15 सीट अनुसूचित जाति एवं 10 सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगी।

- कंडिका 3(3) के लिए प्रति परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र हेतु निर्धारित 100 सीट्स में से 50 सीट अनुसूचित जनजाति, 30 सीट अनुसूचित जाति एवं 20 सीट अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित होगी। तथापि किसी वर्ग में सीट रिक्त होने पर अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के मध्य परस्पर रिक्तियों की पूर्ति की जा सकेगी।
- उपर्युक्त सीट वितरण में वर्गवार 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

(5.5) चयन की प्रक्रिया

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा हेतु नई दिल्ली में स्थित कोचिंग संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए अभ्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

1. विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों से यथा समय आवेदन पत्र आमंत्रित किया जावेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों में से निर्धारित सीट सीमा (50) तक विभाग द्वारा सूचीबद्ध नई दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चयन निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर किया जावेगा।

a. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (वर्तमान सत्र) में अर्ह पाए गए आवेदकों को विभाग द्वारा सूचीबद्ध संस्थान में सीधे प्रवेश की पात्रता होगी। वर्तमान सत्र से तात्पर्य आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय आवेदक द्वारा उत्तीर्ण की गई सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा से है, जो उसी वर्ष उत्तीर्ण प्रारंभिक परीक्षा अथवा परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में उससे पूर्व वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा से है।

b. शेष रिक्त सीटों हेतु अभ्यर्थियों का चयन प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से होगा। अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्राक्चयन परीक्षा हेतु विज्ञापन यथा समय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा तथा यह विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगा जिससे अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकें।

//4//

c. <u>प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप</u>

I. प्राक्चयन परीक्षा के प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के स्तर के होंगे।

II. प्राक्चयन परीक्षा सामान्यतः आब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आधारित होगी। प्राक्चयन परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं के तत्समय प्रचलित पैटर्न के अनुसार ली जाएगी। जिसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास का होगा।

III. प्रश्नपत्र में समसामयिक विषय, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान तथा राजव्यवस्था, भारत तथा विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, संख्यात्मक अभियोग्यता, गणितीय योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, छ.ग. सामान्य ज्ञान इत्यादि विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएँगें।

IV. पात्रता रखने वाले आवेदक प्राक्चयन परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति से आवेदन प्रपत्र टंकित कराकर व उसे पूर्ण रूप से भरकर जिले के सहायक आयुक्त कार्यालय एवं कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) के पते पर जमा करेंगे। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा ऑनलाईन आवेदन की व्यवस्था भी की जा सकेगी।

V. आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित प्रारूप में पावती सह प्रवेश पत्र वाहक/प्रेषक को तत्काल जारी किया जाएगा, ताकि पृथक से प्रवेश पत्र भेजने की आवश्यकता न रहे तथा समय की बचत हो।

d. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लाभान्वित अभ्यर्थी योजना में शामिल नहीं होंगे तथापि यदि वे सिविल सेवा योजनांतर्गत प्राप्त होने वाली राशि के स्थान पर चयन होने की दशा में योजना अंतर्गत कोचिंग करना चाहते है तो उन्हें राशि शासन के पक्ष में समर्पित करनी होगी।

2. कोचिंग संस्थान में निःशुल्क प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए आय सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके पालक की वार्षिक आय रु. 5.00 लाख तक है, वे निःशुल्क प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इस हेतु उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण –पत्र के साथ स्वयं का एवं पालक /माता –पिता के आय का संपूर्ण विवरण देते हुए नोटरी का शपथ पत्र देना होगा।

3. चयनित समस्त अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल 01 बार ही दिया जाएगा।

(6) कोचिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति

नई दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु चयनित संस्था द्वारा अभ्यार्थियों से ली जाने वाली फीस की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार की जाएगी :—

I. कोचिंग केन्द्र में प्रवेश हेतु चयनित ऐसे अभ्यर्थियों जिनके पालकों की वार्षिक आय 3 00 लाख तक है, उनकी कोचिंग फीस का 90 प्रतिशत तथा इससे अधिक आय वाले अन्य अभ्यर्थियों की कोचिंग फीस का 50 प्रतिशत राशि विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। शेष राशि की प्रतिपूर्ति अभ्यर्थी/पालक द्वारा स्वयं की जाएगी।

II. अभ्यर्थी इस प्रशिक्षण के आधार पर अखिल भारतीय सिविल सेवाओं में चयनित होता है तो उन्हे परिणाम आधारित प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार भुगतान की जावेगी:—

i. आई.ए.एस. (भारतीय प्रशासनिक सेवा)/आई.एफ.एस. (भारतीय विदेशी सेवा)/आई. पी.एस. (भारतीय पुलिस सेवा) के पद पर चयनित होने पर प्रशिक्षण पर स्वयं अभ्यर्थी द्वारा वहन की गई राशि का शतप्रतिशत राशि।

ii. ग्रुप 'ए' की सेवा में चयनित होने पर प्रशिक्षण पर स्वयं अभ्यर्थी द्वारा वहन की गई राशि का 75 प्रतिशत राशि।

iii. ग्रप 'बी' की सेवा में चयनित होने पर प्रशिक्षण पर स्वंय अभ्यर्थी द्वारा वहन की गई राशि का 50 प्रतिशत राशि।

यह राशि अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग संस्था को भुगतान की गई राशि का रसीद प्रस्तुत करने पर तथा कोचिंग द्वारा इसे प्रमाणित किये जाने पर अभ्यर्थी को प्रशासकीय अधिकारी आदिवासी युवा आवासीय संस्थान द्वारा भुगतान की जावेगी।

(7) राज्य अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण सुविधा

राज्य अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर चयनित/अनुबंधित संस्था के माध्यम से किया जाएगा। प्रशिक्षण का संपूर्ण दायित्व चयनित संस्था का होगा। विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियो को आवास तथा भोजन व्यवस्था हेतु अधिकतम रु. 3000/— की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, किंतु अभ्यर्थियों को योजना नियम के समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

चयन का मापदण्ड

(7.1) निवास तथा जाति संबंधी पात्रता, आयु संबंधी पात्रता, शैक्षणिक योग्यता संबंधी पात्रता कंडिका 5.1, 5.2, 5.3 के अनुसार होगी।

(7.2) चयन की प्रक्रिया

संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतु छत्तीसगढ़ में स्थित कोचिंग संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

राज्य में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के प्रशिक्षण के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्तमान वर्ष (कंडिका 5.5.1 अनुसार) की संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है आवेदन करने पर उन्हें सीधे प्रवेश दिया जाएगा। शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का चयन एक प्राक्चयन परीक्षा द्वारा किया जाएगा।

I. प्राक्चयन परीक्षा में सफल होने पर राज्य शासन द्वारा अनुबंधित प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 1 वर्ष के लिए होगा।

II. ऐसे आवेदक जिनकी स्वयं की आय या माता–पिता/पालक की आय रु. 3.00 लाख वार्षिक तक हैं, वे योजनांतर्गत संचालित प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे।

III. प्रशिक्षण प्राप्त करने आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा तथा चयन होने की स्थिति में इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि आवेदन में आय संबंधी दी गई जानकारी सत्य है। जानकारी गलत पाए जाने पर प्रशिक्षण केन्द्र से प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। साथ ही प्रशिक्षण पर व्यय राशि की वसूली सहित अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

IV. अभ्यर्थी योजना का लाभ 01 बार ही ले सकेगा।

- प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप एवं प्रणाली कंडिका 5.5 (c) के अनुसार होगी, जिसमें आवश्यकतानुसार तथा प्रतियोगी परीक्षा के प्रचलित पैटर्न अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा एवं इसे विज्ञापन में उल्लेखित किया जाएगा।

(8) कोचिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति

1. राज्य में स्थित संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति – कोचिंग संस्था को प्रशिक्षण शुल्क के भुगतान हेतु अनुबंधित दर की 20 प्रतिशत राशि अभ्यर्थी और 80 प्रतिशत राशि शासन द्वारा वहनीय होगी।
2. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत लाभान्वित अभ्यर्थियों को योजना नियम अनुसार प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त करना हो तो उन्हें सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदत्त राशि वापस करनी होगी।

(9) राज्य अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में निजी संस्थाओं के माध्यम से कंडिका 3(3) अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रशिक्षण/कोचिंग सुविधा :–

चयन का मापदण्ड

(9.1) निवास तथा जाति संबंधी पात्रता, आयु संबंधी पात्रता, शैक्षणिक योग्यता संबंधी पात्रता कंडिका 5.1, 5.2, 5.3 के अनुसार होगी।

चयन की प्रकिया

कंडिका 3(3) अनुसार राज्य में स्थित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में कोचिंग हेतु प्रशिक्षणार्थियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

I. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का चयन एक प्राक्चयन परीक्षा द्वारा किया जाएगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निर्धारित अर्हता/पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्राक्चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

II. प्राक्चयन परीक्षा में सफल होकर प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश दिए जाने पर अभ्यर्थी 01 वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु एक वर्ष पश्चात अभ्यर्थी के द्वारा लिए गए प्रशिक्षण का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन में सफल पाए जाने पर कोचिंग संस्था के परामर्श से अपर संचालक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निर्धारित वृद्धि की जा सकेगी।

III. ऐसे आवेदक जिनके पालक/माता–पिता की आय रू. 3.00 लाख वार्षिक तक है, वे विभाग द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में निशुल्क कोचिंग/प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इस हेतु आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय–प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा तथा चयन होने की स्थिति में इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि आवेदन में आय संबंधी दी गई जानकारी सत्य है। जानकारी गलत पाए जाने पर प्रशिक्षण केन्द्र से प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। साथ ही प्रशिक्षण पर व्यय राशि की वसूली सहित अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

(9.2) प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप

I. प्राक्चयन परीक्षा विभाग द्वारा स्थापित/संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। आवेदकों की संख्या अधिक होने पर राज्य में अन्य जिलों में भी परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकेगा। विभाग द्वारा सभी निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर एक साथ परीक्षा आयोजित की जाएगी।

II. अभ्यर्थियों के चयन के लिए राज्य स्तरीय प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन प्रदेश के सभी जिलों में भी किया जा सकेगा। योग्य तथा पात्र अभ्यर्थियों के चयन एवं योजना के प्रचार–प्रसार के लिए सभी जिलों के सहायक आयुक्त कार्यालय को समन्वय केन्द्र बनाया जा सकेगा।

III. संबंधित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों के सहायक आयुक्तों से सम्पर्क कर कार्य संचालित किया जाएगा ताकि निर्धारित संख्या में योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जा सके।

IV. प्राक्चयन परीक्षा सामान्यतः आब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आधारित होगी। प्राक्चयन परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा के तत्समय प्रचलित पैटर्न के अनुसार ली जाएगी। जिसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को होगा।

V. प्रश्नपत्र में समसामयिक विषय , भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान तथा राजव्यवस्था, भारत तथा विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, संख्यात्मक अभियोग्यता, गणितीय योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, छ.ग. सामान्य ज्ञान इत्यादि विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएँगें।

VI. पात्रता रखने वाले आवेदक प्राक्चयन परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति से आवेदन प्रपत्र टंकित कराकर व उसे पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित केन्द्रों/पते पर जमा करेंगे। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा ऑनलाईन आवेदन की व्यवस्था भी की जा सकेगी।

VII. आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित प्रारूप में पावती सह प्रवेश पत्र वाहक/प्रेषक को तत्काल जारी किया जाएगा ताकि पृथक से प्रवेश पत्र भेजने की आवश्यकता न रहे तथा समय की बचत हो।

(10) राज्य में स्थापित संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग संस्थाओं का चयन

राज्य में स्थित संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग संस्थाओं का चयन राज्य में स्थापित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र हेतु चयन के मापदण्ड आधार पर "रुचि की अभिव्यक्ति" के माध्यम से किया जाएगा।

(11) कोंचिंग संस्था का दायित्व

(A) संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु नई दिल्ली में प्रशिक्षण/कोचिंग संस्था का दायित्व

I. प्रशिक्षण हेतु संसाधानिक सुविधाएँ (भवन, फर्नीचर, कम्प्यूटर, स्टडी मटेरियल इत्यादि) इम्पैनल्ड कोचिंग संस्था की होगी।

II. कोंचिंग की गुणवत्ता एवं परिणामोमुखी प्रशिक्षण आयोजित करने की संपूर्ण जवाबदेही इम्पैनल्ड कोचिंग संस्थाओं की होगी। न्यूनतम 25 प्रतिशत परीक्षा परिणाम लाना आवश्यक होगा अन्यथा संस्था को देय प्रशिक्षण शुल्क की राशि में से अनुपातिक कटौती की जा सकेगी।

(B) राज्य अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा हेतु कोचिंग संस्था का दायित्व

I. विभाग द्वारा राज्य में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु चयनित कोचिंग संस्थाओं का दायित्व विभाग द्वारा राज्य में स्थापित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण संचालित करने वाले कोचिंग संस्थाओं के दायित्व के समकक्ष ही होगा।

II. प्रशिक्षण हेतु संसाधानिक सुविधाएँ (भवन, फर्नीचर, कम्प्यूटर स्टडी मटेरियल इत्यादि) अनुबंधित संस्था की होगी।

III. कोचिंग की गुणवत्ता एवं परिणामोमुखी प्रशिक्षण आयोजित करने की संपूर्ण जवाबदेही अनुबंधित कोचिंग संस्थाओं की होगी। न्यूनतम 25 प्रतिशत परीक्षा परिणाम लाना आवश्यक होगा अन्यथा संस्था को देय प्रशिक्षण शुल्क की राशि में से अनुपातिक कटौती की जा सकेगी।

(C) विभाग द्वारा राज्य में स्थापित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र हेतु कोचिंग संस्था का दायित्व

I. कोचिंग संस्था का चयन होने के पश्चात वे परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के सहयोग से राज्य स्तरीय प्राक्चयन परीक्षा आयोजित कर साक्षात्कार/काउंसिलिंग द्वारा निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करने हेतु स्वीकृत सीट अनुसार मूल सूची तथा प्रतिक्षा सूची जारी कर अभ्यर्थियों का चयन करेंगे।

II. अभ्यर्थियों के चयन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन/प्रेस विज्ञप्ति अनुबंधित कोचिंग संस्था की सहमति से संबंधित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा जारी किया जाएगा। आवेदन पत्रों का परीक्षण, प्राक्चयन परीक्षा/काउंसिलिंग का आयोजन, परीक्षा परिणाम तैयार करना, अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करना, कक्षा आरंभ करना आदि कार्य अनुबंधित कोचिंग संस्था द्वारा किया जाएगा। मुख्य चयन सूची के साथ प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। उक्त कार्य में अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आवश्यक सहयोग किया जाएगा।

III. प्राक्चयन परीक्षा में 40 प्रतिशत क्वालिफाईंग अंक होगा। क्वालिफाईंग अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/काउंसिलिंग के लिए अर्ह घोषित किया जाएगा। सामान्यतः स्वीकृत तथा आरक्षित सीट का वर्गवार 03 गुना अभ्यर्थियों का चयन काउंसिलिंग/साक्षात्कार के लिए किया जा सकेगा।

IV. काउंसिलिंग/साक्षात्कार पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केन्द्र तथा छात्रावास में प्रवेश लेने हेतु अधिकतम 07 कार्य दिवस प्रदान किए जाऐगें, तत्पश्चात प्रतिक्षा सूची के अभ्यर्थियों को वरियताक्रमानुसार प्रवेश की पात्रता होगी।

V. काउंसिलिंग/साक्षात्कार पश्चात अधिकतम 15 दिनों में प्रशिक्षण केन्द्र तथा छात्रावास में प्रवेश संबंधी समस्त कार्य संचालन करना अनिवार्य होगा।

VI. प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सीट रिक्त रहने या उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने की दशा में कोचिंग संस्था के सुझाव के आधार पर काउंसिलिंग/साक्षात्कार पश्चात् तत्काल संबंधित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा पुनः विज्ञापन जारी किया जा सकेगा।

VII. कोचिंग संस्था द्वारा निःशुल्क कोचिंग हेतु चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची का अपर संचालक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकेगा तथा कक्षाओं का संचालन आरंभ किया जा सकेगा।

VIII. प्रवेश प्रक्रिया पश्चात परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जानकारी अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आयुक्त, आदित जाति तथा अनुसूचित जाति विकास की ओर प्रेषित की जाएगी।

IX. अभ्यर्थियों के चयन के लिए राज्य स्तरीय प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन प्रदेश के सभी जिलों में किया जा सकेगा। योग्य तथा पात्र अभ्यर्थियों के चयन एवं योजना के प्रचार–प्रसार के लिए सभी जिलों के सहायक आयुक्त कार्यालय को समन्वय केन्द्र बनाया जा सकेगा। संबंधित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों के सहायक आयुक्तों से सम्पर्क कर कार्य संचालित किया जाएगा ताकि निर्धारित संख्या में योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जा सके।

(C) विभाग द्वारा राज्य में स्थापित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र हेतु कोचिंग संस्था का दायित्व

I. कोचिंग संस्था का चयन होने के पश्चात वे परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के सहयोग से राज्य स्तरीय प्राक्चयन परीक्षा आयोजित कर साक्षात्कार/काउंसिलिंग द्वारा निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करने हेतु स्वीकृत सीट अनुसार मूल सूची तथा प्रतिक्षा सूची जारी कर अभ्यर्थियों का चयन करेंगे।

II. अभ्यर्थियों के चयन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन/प्रेस विज्ञप्ति अनुबंधित कोचिंग संस्था की सहमति से संबंधित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा जारी किया जाएगा। आवेदन पत्रों का परीक्षण, प्राक्चयन परीक्षा/काउंसिलिंग का आयोजन, परीक्षा परिणाम तैयार करना, अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करना, कक्षा आरंभ करना आदि कार्य अनुबंधित कोचिंग संस्था द्वारा किया जाएगा। मुख्य चयन सूची के साथ प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। उक्त कार्य में अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आवश्यक सहयोग किया जाएगा।

III. प्राक्चयन परीक्षा में 40 प्रतिशत क्वालिफाईंग अंक होगा। क्वालिफाईंग अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/काउंसिलिंग के लिए अर्ह घोषित किया जाएगा। सामान्यतः स्वीकृत तथा आरक्षित सीट का वर्गवार 03 गुना अभ्यर्थियों का चयन काउंसिलिंग/साक्षात्कार के लिए किया जा सकेगा।

IV. काउंसिलिंग/साक्षात्कार पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केन्द्र तथा छात्रावास में प्रवेश लेने हेतु अधिकतम 07 कार्य दिवस प्रदान किए जाऐगें, तत्पश्चात प्रतिक्षा सूची के अभ्यर्थियों को वरियताक्रमानुसार प्रवेश की पात्रता होगी।

V. काउंसिलिंग/साक्षात्कार पश्चात अधिकतम 15 दिनों में प्रशिक्षण केन्द्र तथा छात्रावास में प्रवेश संबंधी समस्त कार्य संचालन करना अनिवार्य होगा।

VI. प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सीटें रिक्त रहने या उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने की दशा में कोचिंग संस्था के सुझाव के आधार पर काउंसिलिंग/साक्षात्कार पश्चात् तत्काल संबंधित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा पुनः विज्ञापन जारी किया जा सकेगा।

VII. कोचिंग संस्था द्वारा निःशुल्क कोचिंग हेतु चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची का अपर संचालक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकेगा तथा कक्षाओं का संचालन आरंभ किया जा सकेगा।

VIII. प्रवेश प्रक्रिया पश्चात परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जानकारी अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आयुक्त, आदित जाति तथा अनुसूचित जाति विकास की ओर प्रेषित की जाएगी।

IX. अभ्यर्थियों के चयन के लिए राज्य स्तरीय प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन प्रदेश के सभी जिलों में किया जा सकेगा। योग्य तथा पात्र अभ्यर्थियों के चयन एवं योजना के प्रचार–प्रसार के लिए सभी जिलों के सहायक आयुक्त कार्यालय को समन्वय केन्द्र बनाया जा सकेगा। संबंधित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों के सहायक आयुक्तों से सम्पर्क कर कार्य संचालित किया जाएगा ताकि निर्धारित संख्या में योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जा सके।

X. अनुबंधित संस्था आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास एवं अपर संचालक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के मार्गदर्शन में जिला सहायक आयुक्त से सम्पर्क कर योजना के प्रचार–प्रसार के लिए जिले में कैरियर काउंसिलिंग/कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन कर सकेगी।

XI. कोचिंग संस्था को अनुबंध के एक माह के भीतर अध्यापन/कोचिंग प्रारम्भ करना होगा। अध्यापन/कोचिंग हेतु समय–सारणी तैयार कर उसका पालन भी सुनिश्चित करना होगा। स्वाध्याय के दौरान आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु शिक्षकों की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।

XII. प्रवेशित अभ्यर्थियों का मासिक, त्रैमासिक एवं छःमाही टेस्ट लेना होगा एवं मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन के आधार पर सुधार हेतु सुझाव तथा अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सतत् सकारात्मक प्रयास करना होगा। टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अभिलेख संस्था को सुरक्षित रखना होगा।

XIII. प्रशिक्षण अवधि के दौरान स्वीकृत सीट संख्या से प्रवेशित अभ्यर्थियों की संख्या कम होने की दशा में रिक्त सीटों की पूर्ति अनुबंधित कोचिंग संस्था द्वारा पात्रता रखने वाले तथा आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से स्थानीय स्तर पर काउंसिलिंग द्वारा की जा सकेगी, जिसका अनुमोदन अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किया जाएगा।

XIV. चयनित कोचिंग संस्था को राज्य सिविल सेवा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शिक्षण कार्य हेतु विषयवार तथा अनुभवी शिक्षकों को नियुक्त करना अनिवार्य होगा। शिक्षकों पर पूर्ण नियंत्रण एवं वेतन आदि के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधित कोचिंग संस्था की होगी।

XV. प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों के मार्गदर्शन/उत्साहवर्धन के लिए समय–समय पर प्रशिक्षु आई.ए.एस. अधिकारियों/राज्य सेवा में चयनित अधिकारियों/ बैंकिंग सेवा में कार्यरत अधिकारियों को अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आमंत्रित किया जाएगा।

XVI. अनुबंध अवधि के दौरान किसी प्रतियोगी परीक्षा का विज्ञापन जारी होने पर कोचिंग संस्था को परिणामोन्मुखी क्रैश कोर्स संचालित करना होगा, उक्त क्रैश कोर्स में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेशित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले नए अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते है, जिसकी अवधि अधिकतम 02 माह तक हो सकती है। इसके लिए अनुबंधित संस्था को पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी, तथापि क्रैश कोर्स में सम्मिलित अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रतियोगी परीक्षा में चयन होने पर उनकी गणना संस्था की उपलब्धियों में की जा सकेगी। क्रैश कोर्स में शामिल होने वाले अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों को विभाग की ओर से कोई सुविधा देय नहीं होगी।

XVII. कोचिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों के लिए स्टडी मटीरियल कोचिंग संस्था के द्वारा तैयार किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रवेशित विद्यार्थियों को वितरित किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु प्रशिक्षण केन्द्र में अध्ययन सामग्री वितरण पंजिका रखना होगा।

XVIII. प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑनलाईन आवेदन करने की व्यवस्था का दायित्व कोचिंग संस्था का होगा। छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम का फालोअप भी कोचिंग संस्था को करना होगा। साथ ही विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसकी सूचना अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास की ओर प्रेषित की जावेगी।

XIX. संबंधित कोंचिंग संस्था को योजना के नियमों से अवगत होकर परिपालन संबंधी स्वीकृति पत्र प्रदान करना होगा।

XX. प्रशिक्षणार्थियों को शारीरिक/मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा, जबकि अतिरिक्त समय मे अभ्यर्थियों में अनुशासन बनाए रखने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा। अभ्यर्थियों के स्वाध्याय की निगरानी का दायित्व संयुक्त रूप से होगा।

XXI. प्रशिक्षणार्थियों को देय अवकाश का निर्धारण द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा, जिसके अनुसार प्रथम पक्ष द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

XXII. कोचिंग कक्षा का समय–समय पर निरीक्षण एवं मूल्यांकन प्रथम पक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत विभागीय अधिकारियों के द्वारा किया जा सकेगा।

XXIII. अनुबंध के क्रियान्वयन तथा प्रशिक्षण संबंधी कार्यों की सतत् मॉनिटरिंग अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा स्वयं की जावेगी तथा इस कार्य के लिए केन्द्र में पदस्थ प्राचार्य/व्याख्याता को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी के रूप में अधिकृत किया जाएगा, जो कि कोचिंग संस्था के समन्वय से गुणवत्तापूर्ण तथा परिणामोन्मुखी प्रशिक्षण को सुनिश्चित करते हुए प्रशिक्षण केन्द्र के दायित्वों का संचालन करेंगें।

XXIV. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रोजेक्ट बीच में छोड़ देने की स्थिति में भुगतान की गई राशि अनुपातिक रूप से वसूलनीय होगी तथा अमानत की राशि जप्त/राजसात की जाएगी और अन्य योग्य कार्यवाही की जा सकेगी। जिसमें संस्था को योजना में भाग लेने के प्रतिबंधित करना शामिल होगा।

(12) चयनित अभ्यर्थियों के आवास, भोजन, अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति तथा प्रशिक्षण एवं उपस्थिति

(A) संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु नई दिल्ली में प्रशिक्षण/कोचिंग हेतु अभ्यर्थियों को देय सुविधाएँ

I. कोंचिंग संस्था में प्रवेशित पुरुष अभ्यार्थियों को आदिवासी युवा आवासीय संस्थान, नई दिल्ली में निवास करना होगा। यह सुविधा निःशुल्क होगी तथा वहाँ पर संचालित मेस अथवा वैकल्पिक व्यवस्था में शामिल होना होगा, जिसका व्यय आदिवासी युवा आवासीय संस्थान मद में उपलब्ध आवंटन से किया जावेगा। मेस व्यवस्था निःशुल्क होगी।

II. चयनित महिला अभ्यर्थी जो विभाग द्वारा सूचीबद्ध तथा दिल्ली में स्थित निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश लेकर एवं अपनी व्यवस्थाओं से किराया के मकान/पेइंगगेस्ट इत्यादि सुविधा में निवास करते है तो उनके भोजन एवं आवास पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति रूपये 8500/– प्रतिमाह की सीमा तक विभाग द्वारा की जाएगी। भुगतान अधिकतम तीन किश्तों में किया जावेगा।

III. प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों को पुस्तकों के क्रय हेतु प्रशिक्षण अवधि मे केवल एक ही बार राशि रूपये 4000/– दिया जावेगा।

IV. कोचिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों को कोचिंग केन्द्र में नियमित उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

V. यदि किसी पीरिएड/दिवस में कोई छात्र अनुपस्थित रहता है तो इसके लिए कोचिंग संस्था के संचालक/प्रशासकीय अधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी। उपस्थिति संतोषप्रद न होने पर छात्र को प्रशिक्षण से निष्कासित भी किया जा सकेगा।

VI. योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें अभ्यर्थियों को अवकाश हेतु आवेदन पत्र आदिवासी युवा आवासीय संस्थान नई दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति लेनी होगी। निर्धारित अवधि से अधिक समय तक बिना औचित्यपूर्ण कारण के अवकाश पर रहने की स्थिति में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश की अनुमति निरस्त की जा सकेगी। औचित्यपूर्ण कारण सिद्ध करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

VII. अभ्यर्थी को आदिवासी युवा आवासीय संस्थान नई दिल्ली से कोचिंग संस्था तथा कोचिंग से संबंधित अन्य कार्यों हेतु दिल्ली आने–जाने हेतु मेट्रो ट्रेन/डी.टी.सी. बस के पास पर हुए वास्तविक/प्रचलित व्यय की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी। यह सुविधा महिला अभ्यर्थियों को भी दी जाएगी।

VIII. संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु विभाग द्वारा प्रायोजित अभ्यार्थियों का मूल्यांकन कोचिंग संस्था के द्वारा किया जावेगा एवं उसकी प्रति समय–समय पर आदिवासी युवा आवासीय संस्थान नई दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

IX. बिना किसी सूचना के संस्था से अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रशासनिक अधिकारी आदिवासी युवा आवासीय संस्थान नई दिल्ली की अनुशंसा पर आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ.ग. रायपुर द्वारा की जाएगी।

(B) <u>राज्य अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा हेतु प्रशिक्षण/कोचिंग हेतु अभ्यर्थियों को देय सुविधाएँ एवं उपस्थिति</u>

I. चयनित/प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रति व्यक्ति मेस तथा आवासीय सुविधा (किराया) हेतु राशि रु. 3000/– प्रतिमाह विभाग द्वारा योजना अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा।

II. प्रशिक्षण लेने चाले अभ्यर्थियों को पुस्तकों के क्रय हेतु प्रशिक्षण अवधि में केवल एक ही बार राशि रूपये 4000/– दिया जावेगा।

III. कोचिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों का कोचिंग केन्द्र में नियमित उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

IV. यदि किसी पीरिएड/दिवस में कोई छात्र अनुपस्थित रहता है तो इसके लिए कोचिंग संस्था के संचालक से लिखित अनुमति लेनी होगी। उपस्थिति संतोषप्रद न होने पर तथा निर्धारित अवधि से अधिक समय तक बिना औचित्यपूर्ण कारण के अवकाश पर रहने की स्थिति में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश की अनुमति विभागाध्यक्ष द्वारा निरस्त की जा सकेगी। औचित्यपूर्ण कारण सिद्ध करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

IX. संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु विभाग द्वारा प्रायोजित अभ्यार्थियों का मूल्यांकन कोचिंग संस्था के द्वारा किया जावेगा एवं उसकी प्रति समय-समय पर विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

(C) विभाग द्वारा राज्य में स्थापित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र हेतु

I. राज्य में स्थित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेशित तथा नियमित अध्ययनरत अभ्यर्थियों को रू. 1000/- प्रतिमाह के दर से शिष्यवृत्ति प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को कोई अन्य छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

II. कोचिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिदिन प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। बीमारी/आपात परिस्थितियों को छोड़कर माह में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति रहने पर संबंधित माह में शिष्यवृत्ति देय नहीं होगी।

III. यदि किसी पीरियड में कोई छात्र अनुपस्थित रहता है तो उसके लिए कोचिंग संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि/शिक्षक से लिखित आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति लेनी होगी तथा आवेदन पत्र परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के अधिकृत प्रभारी के पास जमा करना होगा।

IV. अवकाश हेतु आवेदन पत्र अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से संबोधित कर प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति लेनी होगी। निर्धारित अवधि से अधिक समय तक अवकाश पर रहने की स्थिति में अनुपस्थिति की अवधि के लिए शिष्यवृत्ति देय नही होगी।

(13) प्रशिक्षण अवधि

(A) नई दिल्ली स्थित निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा हेतु प्रशिक्षण अवधि

I. कोचिंग संस्था द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण सत्र के अनुसार सिविल सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

II. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर साक्षात्कार हेतु भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह अवधि एक वर्ष के अतिरिक्त होगी तथा इसका व्यय योजना से वहन किया जाएगा।

(B) राज्य अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा हेतु प्रशिक्षण अवधि

I. कोचिंग संस्था द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण सत्र के अनुसार संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

II. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर साक्षात्कार हेतु भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह अवधि एक वर्ष के अतिरिक्त होगी तथा इसका व्यय योजना से वहन किया जाएगा।

(C) राज्य में स्थापित परीक्षा पूर्व प्रषिक्षण केन्द्र में प्रवेषित अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण अवधि

I. राज्य में स्थित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में एसएससी/बैंकिंग/रेलवे आदि की परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण/कोचिंग की अवधि 01 वर्ष होगी। राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु क्रैश कोर्स संचालित किया जा सकेगा।

II. कोचिंग हेतु अधिकतम अवधि का निर्धारण अभ्यर्थियों के कक्षा में प्रगति प्रदर्शन पर आधारित होगा। इस हेतु त्रैमासिक आधार पर प्रवेशित अभ्यर्थियों का आंतरिक मूल्यांकन कोचिंग प्रदान कर रही संस्था द्वारा किया जाएगा तथा मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रवेश निरंतर रखने या प्रवेश निरस्त करने की अनुशंसा पर अपर संचालक द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी।

III. प्रशिक्षण सत्र सामान्यतः 01 जुलाई से आरंभ होकर 30 जून तक संचालित होगा। जिसमें आंशिक परिवर्तन किया जा सकेगा। अभ्यर्थी की वार्षिक प्रगति (अनुशासन, अवकाश, कक्षा में उपस्थिति, आंतरिक परीक्षा परिणामों का समग्र मूल्यांकन इत्यादि) की समीक्षा के आधार पर आगामी सत्र के लिए उसका प्रवेश निरंतर रखा जा सकेगा तथापि यह 02 वर्षों की अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

(14) प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध सुविधाएँ

I. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करने हेतु प्रवेशित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष एवं कोचिंग संस्था के लिए कार्यालय कक्ष आदि की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाएगी।

II. कोंचिंग में प्रवेशित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा कुर्सी, टेबल, बिजली, पंखा, पानी, फर्स्ट एड, लायब्रेरी आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

III. चयनित कोंचिंग संस्था द्वारा कोंचिंग केन्द्र पर छात्रों के लिए विषय विशेषज्ञ, स्टेशनरी, पुस्तकें, स्टडी मटेरियल, नियमित मासिक, त्रैमासिक, छःमाही टेस्ट, व्यक्तित्व विकास, इंग्लिश स्पोकन, साक्षात्कार के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

IV. चयनित तथा दूरस्थ क्षेत्र के अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा उपलब्धता अनुसार छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(15) अभ्यर्थियों के लिए अर्हताएँ/निर्हताएँ

I. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता की अंकसूची, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा प्रवेश के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

II. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आगामी राज्य सिविल सेवा परीक्षा, बैंकिंग, कर्मचारी चयन आयोग, रेल्वे भर्ती बोर्ड, व्यापम की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन किया है, अपने आवेदन पत्र के साथ प्रवेश पत्र/आवेदनपत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। ऐसे आवेदकों को काउंसिलिंग/साक्षात्कार में वरियता दी जा सकेगी।

III. छात्रावास की सुविधा, शिष्यवृत्ति तथा अन्य सुविधाएं केवल चयनित तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को ही प्राप्त होगी।

IV. अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन, नियमितता एवं सदाचार का पालन न करने पर एवं अपराधिक प्रकरण से लिप्त पाये जाने पर कोचिंग से उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

V. अभ्यर्थी को छात्रावास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाता है तो उसे संबंधित योजना के नियमों का पालन न करने पर उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

VI. अभ्यर्थी के किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण अध्ययन में व्यवधान होने की स्थिति में उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

VII. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के मूल्यांकन में अपेक्षित स्तर तक प्रगति न लाये जाने पर कोचिंग से प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इस हेतु प्रशिक्षण केन्द्र में त्रैमासिक आधार पर आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में निर्धारित क्वालिफाईंग अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही प्रशिक्षण केन्द्र में नियमित रह सकते है। इस संबंध में निर्णय कोचिंग संस्था की अनुशंसा पर अपर संचालक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा लिया जाएगा।

VIII. बिना किसी सूचना के संस्था से अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के अपर संचालक की अनुशंसा पर आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ.ग. रायपुर द्वारा की जाएगी।

IX. कोचिंग की अवधि में प्रवेशित अभ्यर्थी को अंशकालीन नौकरी अथवा अन्यत्र छोटी मोटी नौकरी ग्रहण करने की अनुमति नही दी जायेगी परंतु संघ लोकसेवा आयोग या राज्य लोकसेवा आयोग की परीक्षा के माध्यम से चयनित पदों या अन्य कोई परीक्षा के माध्यम से कार्यपालिक पदों पर चयनित होने की स्थिति में कोचिंग छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।

X. प्रशिक्षण अवधि के दौरान बिना किसी औचित्य के प्रशिक्षण छोड़ने की स्थिति में व्यय राशि की वसूली अभ्यर्थी/पालक से की जा सकेंगी तथा भविष्य में विभाग द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण लेने से वंचित किया जा सकेगा।

XI. प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों को संस्था के अनुशासन संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

XII. प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह अधिकतम 03 कार्य दिवस में अवकाश की पात्रता होगी।

XIII. उपरोक्त शर्तो के पालन हेतु संस्था में प्रवेश के लिए चयन के समय एक शपत्र–पत्र अभ्यर्थी तथा उसके अभिभवक को संयुक्त रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(16) कोचिंग संस्थाओं के चयन हेतु प्रकिया का निर्धारण

(A) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु

1. विभाग द्वारा "रूचि की अभिव्यक्ति " के माध्यम से समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं हेतु नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं का एक पैनल तैयार किया जायेगा। उक्त कोचिंग संस्थाएं योजना अंतर्गत विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण हेतु मान्य होगी। गुण–दोष के आधार पर उत्कृष्ट कोचिंग संस्थाओं का चयन निम्नानुसार समिति द्वारा किया जायेगा :–

• सचिव, आ.जा.तथा अनु.जा.विकास विभाग	–	अध्यक्ष
• आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास	–	सदस्य
• अपर संचालक/उपायुक्त, प्रशासन/योजना	–	सदस्य
• प्रशासनिक अधिकारी, ट्राइबल यूथ हास्टल नई दिल्ली	–	सदस्य
• अपर संचालक/संयुक्त संचालक (वित्त)	–	सदस्य
• योजना प्रभारी अधिकारी	–	सदस्य सचिव

(B) राज्य में स्थापित परीक्षा पूर्व प्रषिक्षण केन्द्र हेतु

I. विभाग द्वारा राज्य में स्थापित/संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण कार्य हेतु निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं का चयन "रूचि की अभिव्यक्ति" के माध्यम से समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर किया जायेगा।

II. "रूचि की अभिव्यक्ति " हेतु फार्म एवं डाक्यूमेंट आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा तैयार किया जावेगा। इसमें निजी कोंचिंग संस्थाओ के लिए आवश्यक मानकों का उल्लेख होगा।

III. निजी कोंचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" प्राप्त होने पर दस्तावेजों का परीक्षण कर उपयुक्त पाई गई संस्थाओं को प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तकनीकी प्रस्तुतिकरण पश्चात गुणात्मक मूल्यांकन के 60% तथा वित्तीय निविदा के 40% वेटेज के आधार पर गणना कर संस्थाओं के चयन हेतु मैरिट क्रम अनुसार अनुशंसा निम्नानुसार समिति द्वारा की जायेगी :–

• आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास	–	अध्यक्ष
• अपर संचालक/उपायुक्त, प्रशासन/योजना	–	सदस्य
• अपर संचालक/संयुक्त संचालक (वित्त)	–	सदस्य
• योजना प्रभारी अधिकारी	–	सदस्य सचिव

IV. एक कोचिंग संस्था को किसी एक केन्द्र पर ही कोचिंग देने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। चयनित संस्थाओं को मैरिटक्रम में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में कोचिंग देने का अवसर प्राप्त होगा।

V. चयनित कोचिंग संस्था को विभाग द्वारा निर्मित शर्तों के अधीन आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सशर्त अनुबंध करना होगा।

(17) कोचिंग संस्था को कार्य आबंटन

कंडिका 3(1), 3(2) एवं 3(3) अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण के लिए विभाग द्वारा कोचिंग संस्था को प्रशिक्षण दिनांक से 03 वर्ष के लिए इम्पैनल्ड/अनुबंधित किया जायेगा। कार्य संतोषप्रद पाये जाने कंडिका 3(1) अनुसार पर इम्पैनल्ड संस्थाओं के नवीनीकरण हेतु विचार किया जावेगा तथा कंडिका 3(2) एवं 3(3) के अंतर्गत संचालित कोचिंग हेतु 03 वर्ष उपरांत पुनः कोचिंग संस्थाओं के चयन हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" आमंत्रित की जाएगी। अनुबंध अवधि में यदि संस्था का कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

(18) राशि का भुगतान

I. कंडिका 3(1) के अनुसार नई दिल्ली स्थित इम्पैनल्ड कोचिंग संस्थाओं को उनके द्वारा लिए जाने वाले कोचिंग शुल्क का भुगतान कंडिका 6(II) के अनुसार किया जाएगा।

II. राज्य के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग (कंडिका 3(2) एवं 3(3) अनुसार) हेतु चयनित कोचिंग संस्था को विभाग द्वारा कोचिंग शुल्क/मानदेय राशि का भुगतान अनुबंध अनुसार किया जावेगा। भुगतान की जाने वाली राशि का 10 प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में काटा जायेगा, जिसे अंतिम भुगतान के समय समायोजन किया जायेगा।

III. यदि किसी स्तर पर निरीक्षण के दौरान पाया जाता है कि कोचिंग संस्था द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं किया जा रहा है अथवा अपेक्षित सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तो आनुपातिक रूप से राशि की कटौती की जा सकेगी।

IV. कोचिंग संस्था को राशि का भुगतान आयकर विभाग के दिशा–निर्देशों के तहत टी. डी.एस कटौती उपरांत किया जाएगा।

V. राज्य अन्तर्गत संचालित कोचिंग (कंडिका 3(2) एवं 3(3) अनुसार) हेतु भुगतान योग्य राशि में से 60 प्रतिशत राशि का भुगतान स्वीकृत सीट संख्या के आधार पर अनुबंध अनुसार निर्धारित किश्तों में किया जाएगा जबकि शेष 40 प्रतिशत राशि (कुल देय राशि का 10 प्रतिशत अमानत राशि सहित) का भुगतान प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में कुल प्रवेशित अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 30 प्रतिशत छात्रों का चयन अनुबंध अवधि में आयोजित तथा अनुबंध में उल्लेखित सभी संबंधित परीक्षाओं में सम्मिलित रूप से होना अनिवार्य होगा

अन्यथा प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित 40 प्रतिशत राशि में से अनुपातिक कटौती की जा सकेगी। 15 प्रतिशत से कम रिजल्ट आने पर देय 40 प्रतिशत संपूर्ण राशि की कटौती की जा सकेगी। अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने तथा प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर शेष 40 प्रतिशत की राशि का भुगतान किया जाएगा।

(19) कोचिंग संस्था की मानिटरिंग

(A) नई दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा तथा राज्य में निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग की मॉनीटरिंग :–

चयनित संस्थाओं को कार्य आबंटित हो जाने के पश्चात कोचिंग संस्था के कोचिंग प्रदान करने की गणुवत्ता की मॉनीटरिंग एक राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। मानीटरिंग समिति के रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्य जारी रखने या निरस्त करने के संबंध में विभाग निर्णय लेगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगें :–

- सचिव, आ.जा.तथा अनु.जा.विकास विभाग – अध्यक्ष
- आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास – सदस्य
- अपर संचालक प्रशासन/योजना – सदस्य
- प्रशासनिक अधिकारी ट्राइबल यूथ हास्टल नई दिल्ली – सदस्य
- अपर संचालक/संयुक्त संचालक (वित्त) – सदस्य
- नव नियुक्त आई.ए.एस. अधिकारी – सदस्य
- योजना प्रभारी अधिकारी – सदस्य सचिव

(B) विभाग द्वारा राज्य में स्थापित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र हेतु

1. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में संचालित प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। मानीटरिंग समिति के रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्य जारी रखने या निरस्त करने के संबंध में विभाग निर्णय लेगा।
2. समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

- आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास – अध्यक्ष
- अपर संचालक प्रशासन/योजना – सदस्य
- अपर संचालक/संयुक्त संचालक (वित्त) – सदस्य
- अपर संचालक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र – सदस्य
- योजना प्रभारी अधिकारी – सदस्य सचिव

(20) नियमों में संशोधन की शक्ति

इन नियमों में राज्य शासन द्वारा आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जा सकेगा।

9/15

(डी.डी. कुजोम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.